भारत सरकार भारी उदयोग मंत्रालय

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 984 08 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"सेमी कंडक्टर औद्योगिक नीति"

984. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सेमी कंडक्टर औद्योगिक नीति की घोषणा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इस परियोजना की विशेषताएं क्या हैं; और
- (ग) इस नई नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और नई नीति किस हद तक देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगी?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ग): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, सरकार समग्र सेमीकंडक्टर पारितंत्र के निर्माण और इसके माध्यम से भारत के तेजी से विस्तृत हो रहे इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण और नवाचार पारितंत्र के उत्प्रेरण के अपने महत्वपूर्ण उद्देश्य पर संकेंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सेमीकंडक्टरों में आत्मनिर्भरता के इस दृष्टिकोण को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने और गति प्रदान की जब हमारे देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास के लिए कुल 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेमीकंडक्टरों, डिस्प्ले विनिर्माण और डिजाइन पारितंत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को वितीय

सहायता प्रदान करना है। यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिकी मूल्य शृंखलाओं में भारत की उपस्थिति को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उक्त कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित चार स्कीमें श्रू की गई हैं:

- i. भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापना स्कीम के अंतर्गत सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। स्कीम के तहत निम्नलिखित वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है:
 - 28 एनएम या उससे कम परियोजना लागत का 50% तक
 - 28 एनएम से अधिक से 45 एनएम तक परियोजना लागत का 40% तक
 - 45 एनएम से अधिक से 65 एनएम तक परियोजना लागत का 30% तक
- ii. भारत में डिस्प्ले फैब स्थापना स्कीम के अंतर्गत डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को वितीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका उद्देश्य देश में टीएफटी एलसीडी/एमोलेड-आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। यह स्कीम परियोजना लागत के 50% तक की वितीय सहायता प्रदान करती है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति फैब 12,000 करोड़ रुपये हो सकती है।
- iii. भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधा केंद्र स्थापना स्कीम: इस स्कीम के अंतर्गत भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सिहत) फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय के 30% की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।
- iv. डिजाइन-आधारित प्रोत्साहन (डीएलआई) स्कीम के अंतर्गत एकीकृत सर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर तथा सेमीकंडक्टर-संबद्ध डिजाइन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, विकास के विभिन्न चरणों में डिजाइन अवसंरचना सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत पात्र व्यय के 50% तक "उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदान किया जाता है जो प्रति आवेदन अधिकतम ₹15 करोड़ होता है। साथ ही, प्रति

आवेदन 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री कारोबार के 6% से 4% का "परिनियोजन-संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदान किया जाता है जो अधिकतम ₹30 करोड़ हो सकता है।

उपर्युक्त स्कीमों के अलावा, सरकार ने ब्राउनफील्ड फैब के रूप में मोहाली में सेमी-कंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। साथ ही, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) की स्थापना की भी मंजूरी दी गई थी जिसे सेमीकंडक्टरों और डिस्पले विनिर्माण पारितंत्र विकसित करने के लिए प्रशासनिक और वितीय स्वायत्तता दी गई है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में कार्य की परिकल्पना के साथ आईएसएम स्कीमों के कुशल, सुसंबद्ध और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

ये स्कीमें दिनांक 21.12.2021 को अधिसूचित की गई हैं और वर्तमान में पात्र आवेदक आवेदन कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग गहन ज्ञान आधारित है और इसके लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम सभी स्तरों पर रोजगार से संबंधित सेमीकंडक्टरों के लिए कौशल निर्माण को बढ़ावा देगा।
